



सिजी 0 नं० एम. डब्ल्यू. एन. पी. 868

लाइसेंस नं० डब्ल्यू पी०-41.

लाइसेंस नं० पास्ट एट. डब्ल्यू. एन. पी. 868

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार 2 मई, 1994

वैसाख 12, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 812/सत्रहीवि-1-1(क)-16-1994

लखनऊ, 2 मई, 1994

अधिसूचना

विधि

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 पर दिनांक 30 अप्रैल, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल अधिनियम, 1994

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1994]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल के गठन और विनियमन के लिये

अधिनियम

चूंकि राज्य सरकार को राज्य में समय-समय पर विधि और व्यवस्था और अन्य समस्याओं से निपटने के लिये केन्द्रीय सुरक्षा बलों की अव्ययपेक्षा करनी पड़ती है;

और, चूंकि ऐसी अध्यपेक्षा की दशा में कभी-कभी प्रक्रिया सम्बन्धी बिलम्ब के कारण, यथासमय सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती और ऐसी अध्यपेक्षा खचीली भी है।

और, चूंकि, परिशान्ति भंग से सम्बन्धित आपतन को निपटाने के लिये, और प्राकृतिक विपत्तियों से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी, राज्य में आधुनिक उपस्करों से सज्जित एक सम्यक् रूप से प्रशिक्षित बल की आवश्यकता है।

और, चूंकि, उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल नाम से एक बल का गठन और विनियमन करने का उपबन्ध करना समीचीन है; अतः भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल अधिनियम, 1994 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो :—

(क) "बन्द गिरफ्तारी" का अर्थ बल या बल की किसी टुकड़ी या क्वार्टर गार्ड चौकी के भवन या गार्ड के प्रभार के अधीन तम्बू के अन्तर्गत परिरोध से है ;

(ख) "कमाण्डेन्ट", "सहायक कमाण्डेन्ट" और "एडजुटेन्ट" का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो राज्य सरकार द्वारा बल के उक्त पदों पर नियुक्त किये गये हों ;

(ग) "बल" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल से है ;

(घ) "बल का अधिकारी" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बल में नियुक्त व्यक्ति से है जिसने इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में अनुसूची में दिये गये प्रारूप में एक कथन हस्ताक्षरित किया है ;

(ङ) "खुली गिरफ्तारी" का तात्पर्य बल के किसी भाग के तत्समय अध्यासन में किसी बरक के परिसर, लाइन्स या कैंप में परिरोध करने से है ;

(च) "अधीनस्थ अधिकारी" का तात्पर्य बल के किसी सदस्य से है जो सुबेदार-मेजर, सुबेदार, प्लाटून-कमाण्डर या उप-निरीक्षक की श्रेणी का हो ;

(छ) बल के किसी अधिकारी के सम्बन्ध में "वीरष्ठ अधिकारी" का तात्पर्य ऐसी श्रेणी के किसी अधिकारी से जैसा विहित किया जाय, जो ऐसे अधिकारी से उच्चतर श्रेणी का हो ;

(ज) पद "आपराधिक बल" और "हमला" का अर्थ वही होगा जो उनके लिए क्रमशः भारतीय दण्ड संहिता में दिये गये हैं।

बल का गठन

3—(1) राज्य सरकार द्वारा एक बल जिसे उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल कहा जायेगा को समुत्थापित किया जायेगा और उसे बनाये रखा जायेगा और उसे ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए गठित किया जायेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) बल पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के सामान्य नियन्त्रण के अधीन कार्य करेगा।

बल के अधि-कारियों का अध्यावेशन और उन्मोचन

4—किसी व्यक्ति को बल के अधिकारी के रूप में नियुक्ति के पूर्व चाहे वह पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पहले से अभ्यावीशत हो या इस प्रकार अभ्यावीशत न हो, अनुसूची में उल्लिखित कथन पढ़ा जायेगा और यदि आवश्यक हो तो, किसी मजिस्ट्रेट, कमाण्डेन्ट या असिस्टेन्ट कमाण्डेन्ट द्वारा उसे समझाया जायेगा और उसके बाद उसे इस प्रकार पढ़कर सुनाये गये और समझाये जाने की अभिस्वीकृति में उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और यथास्थिति मजिस्ट्रेट, कमाण्डेन्ट या असिस्टेन्ट कमाण्डेन्ट द्वारा साक्षात्कृत किया जायेगा।

5—धारा 6, 7 और 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बल का प्रत्येक सदस्य अपनी निर्दिष्ट पर और जब तक वह उसका सदस्य बना रहे तब तक पुलिस अधिकारी समझा जायेगा और ऐसे किसी निबन्धनों, शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जो विहित किये जायें उसे सभी शक्तियाँ, विशेषाधिकार, दायित्व, शास्ति, दण्ड और संरक्षण, जहाँ तक वे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियमों से अलग न हों, होंगे या वह उनके अधीन होगा जो पुलिस अधिनियम, 1861 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन अभ्याधीन किसी पुलिस अधिकारी को हो।

बल के सदस्य पुलिस अधिकारी समझे जायेंगे

6—बल का कोई अधिकारी, जो—

अधिक जघन्य अपराध

(क) किसी विद्रोह या राज-द्रोह को प्रारम्भ करता है, उकसाता है, कराता है या उसमें शामिल होता है या किसी विद्रोह या राज-द्रोह पर उपस्थित रहते हुए भी उसका दबाने के लिए अपने सर्वाधिक प्रयत्नों का उपयोग नहीं करता या किसी विद्रोह के अस्तित्व की जानकारी होने हुए या उसे उसके अस्तित्व के सम्बन्ध में विश्वास करने के कारण होते हुए या विद्रोह के आशय की जानकारी होते हुए बिना विलम्ब उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को नहीं देता है, या

(ख) चाहे वह अपनी झूठी पर हो या न हो, अपने वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करता है या उसका प्रयत्न करता है या उस पर हमला करता है,

(ग) किसी चाँकी या गारद को जो उसके प्रभार में है या जिसकी प्रीतिरक्षा करना उसका कर्तव्य है, छोड़ देता है या सौंप देता है, या

(घ) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः राज्य के विरुद्ध या प्रतिकूल किसी सशस्त्र व्यक्ति से पत्र-व्यवहार करता है या उसकी सहायता करता है या उसे भार-मुक्त करता है या ऐसे किसी पत्र-व्यवहार की उसे जानकारी होने पर वह तुरन्त अपने वरिष्ठ अधिकारी पर उसे प्रकट करने का लोप करता है, या

(ङ) बल का अभिभयजन करता है, या

(च) किसी व्यक्ति के, जो कम्प या क्वार्टर्स पर रसद या अन्य आवश्यक वस्तुएँ ला रहा हो, विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करता है, या उस पर हमला करता है, या संरक्षण गारद का अतिक्रमण करता है, या किसी प्रकार की सम्पत्ति की लूटपाट करता है या नष्ट करता है या नुकसान पहुँचाता है,

दोष सिद्ध पर आजीवन कारावास से या 14 वर्ष तक की किसी अवधि के कारावास से दण्डित किया जायेगा और जर्मने से भी दण्डनीय होगा।

7—बल का कोई अधिकारी, जो—

कम जघन्य अपराध

(क) किसी सन्तरी को मारता है या उस पर हमला करता है, या

(ख) अपने वरिष्ठ अधिकारी के विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा करता है, या

(ग) एक सन्तरी होते हुए, अपनी चाँकी पर सौंपता है या बिना नियमित रूप से भारमुक्त हुए या बिना अनुमति के छोड़ देता है, या

(घ) अपने कमाण्ड अधिकारी, या अपनी चाँकी या दल को, लूटपाट की तालाश में जाने के लिए, छोड़ देता है, या

(ङ) किसी गृह या अन्य स्थान में लूटपाट के लिए अनाधिकृत प्रवेश करता है, या

(च) अपने गार्ड, पिक्केट, दल या पेट्रोल को बिना नियमित रूप से भारमुक्त हुये या बिना अनुमति के छोड़कर चला जाता है, या

(छ) संघर्ष के दौरान या कम्प गैरीजन या क्वार्टर्स में जानबूझ कर झूठा अलार्म पैदा करता है या फैलाता है, या

(ज) अपने कर्तव्य पालन में कायरता दिखाता है, या

(फ) गिरफ्तारी में या परिरोध में होने पर गिरफ्तारी या परिरोध से निकल भागता है, या

(ज) अपने कर्तव्य पालन में अपने विरुद्ध अधिकारी के प्रति अत्यधिक अनधीन या धृष्ट हो, या

(ट) बल के किसी अधिकारी को जो उससे अधीनस्थ श्रेणी या पद का हो आघात पहुंचाता है या उसके साथ दुर्भावना से बुरा बर्ताव करता है, या

(ठ) कर्तव्य से बचने के लिये रोग का बहाना करता है या डोंग करता है या अपने आप में कोई रोग या अंग-शीथल्य उत्पन्न करता है या जान-बुझकर स्वस्थ होने में देरी लगाता है या अपने रोग या अंग-शीथल्य को बढ़ाता है, या

(ड) किसी ड्यूटी या परेड या मार्च की लाइन पर या चतुर्दशी दिवसों पर भी नशे की हानत में रहता है, या

(ढ) किसी गार्ड, पिक्केट या पेट्रोल के कमान में होने पर किसी कांटी या व्यक्ति को जो सम्यक रूप से उसके प्रभार में दिया हो, लेने से इन्कार करता है या बिना उचित प्राधिकार के उसके प्रभार में रखे गये किसी व्यक्ति या कांटी को निर्मुक्त कर देता है या ऐसे किसी व्यक्ति या कांटी को भागने देता है।

टोपीसिद्ध पर कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, या जर्मनी से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

सषु दण्ड

8—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहने हुए कमाण्डेण्ट या कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी जो विहित किया जाय, बल के किसी सदस्य को जिसे वह अवज्ञा, कर्तव्य उपेक्षा, कर्तव्य के निर्वहन में असावधानी या बल के सदस्य के रूप में उसकी हानियत से अन्य अवचार का टोपी समझे, निलम्बन या घटच्युति के स्थान पर या उसके अतिरिक्त, निम्नीलिखित में से कोई एक या अधिक दण्ड दे सकता है, अर्थात्—

(क) पीकितच्युति,

(ख) एक मास के वेतन और भत्तों से अनधिक धनराशि, का जर्मनी

(ग) एक मास से अनधिक की अवधि के लिए क्वार्टर, लाइन्स या कम्प में परिरोध,

(घ) दण्ड डिल या अतिरिक्त गार्ड, फटींग या अन्य ड्यूटी के साथ या उसके बिना, क्वार्टर्स गार्ड में अट्टाइस से अनधिक दिन के लिए परिरोध,

(ङ) बल में विशिष्टता के या विशेष परिस्थितियों के किसी पद से हटाना।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई दण्ड किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जब वह मुख्यालय से बाहर बल की किसी टुकड़ी के कमान में हो, दिया जा सकता है यदि उसे कमाण्डेण्ट द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो।

(3) सहायक कमाण्डेण्ट, कोई कम्पनी अधिकारी या कोई अधीनस्थ अधिकारी जो सुबेदार या निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो और जो किसी पथक टुकड़ी या चांकी की कमान में हो या बल के मुख्यालय पर अस्थायी कमान में हो, बल के किसी सदस्य को जो तत्समय उसके प्राधिकार के अधीन हो, अनुशासन के विरुद्ध किये गये ऐसे किसी छोटे अपराध के लिए जो इस अधिनियम में अन्यथा उपरान्धित न हो या जो ऐसी पर्याप्त गम्भीर प्रकृति का न हो जिसके लिए किसी दण्ड न्यायालय में अभियोजन अपेक्षित हो, निम्नीलिखित में से कोई एक या अधिक दण्ड का निर्णय दे सकता है, अर्थात्—

(क) क्वार्टर गार्ड या ऐसे अन्य स्थान में जो उपयुक्त समाप्ति प्राप्त सात से अनधिक दिन के लिए परिरोध के साथ उसके जारी रहने की अवधि में समस्त वेतन और भत्तों का सम्पहरण,

(ख) क्वार्टर्स, लाइन्स या कम्प में परिरोध के साथ या उसके बिना तीस से अनधिक दिनों के लिये दण्ड डिल, या अतिरिक्त गार्ड फटींग या अन्य ड्यूटी,

(ग) निन्दा या घोर निन्दा, किन्तु यह दण्ड केवल कमाण्डेंट द्वारा ही किसी अधीनस्थ अधिकारी को दिया जा सकता है।

(4) कोई प्लाटून कमाण्डर या कोई उप-निरीक्षक जो किसी टुकड़ी या चांकी के कमान में अस्थायी रूप से हो, उसी शीतल से और उसी प्रकार के किसी अपराध के लिये बल के किसी सदस्य को जो तत्समय उसके प्राधिकार के अधीन हो, उप-धारा (3) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट में से कोई दण्ड पन्द्रह से अनधिक दिन के लिये दे सकेगा।

9—बल के किसी सदस्य के वेतन और भत्तों से, उसके कम्पनी अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शास्तिक कर्तातियां की जा सकती हैं, अर्थात्—

बंठन और भत्तों से कर्ताती

(क) अभिमुख्यजन या बिना छुट्टी लिये अनुपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिये और किसी दण्ड न्यायालय द्वारा दिये गये कारावास या धारा 8 के अधीन परिरोध के प्रत्येक दिन के लिये समस्त वेतन और भत्ते,

(ख) प्रत्येक दिन के लिये जब वह ऐसे किसी आरोप के लिये अभिरक्षा में हो जिसके लिये वह बाट में सिद्धाधी ठहराया जाय, समस्त वेतन और भत्ते,

(ग) ऐसे प्रत्येक दिन के लिये सम्पूर्ण वेतन और भत्ते जब वह ऐसी रुग्णता के कारण अस्पताल में रहा हो जिसके सम्बन्ध में उसकी देखभाल करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि वह इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा किये गये किसी अपराध के कारण हुई,

(घ) धारा 8 के अधीन समपहरण के लिये आदेशित समस्त वेतन और भत्ते,

(ङ) बल के सदस्य द्वारा कारित व्यय या बल के किसी शस्त्र, गोला बारूद, उपस्कर, बस्त्र, उपकरण, अलंकरण या किसी भवन या सम्पत्ति को हानि, नुकसान या नष्ट करने के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिए ऐसी धनराशि जो कमाण्डेंट या सहायक कमाण्डेंट द्वारा आदेशित की जाय।

10—(1) बल के किसी अधिकारी द्वारा बल के किसी सदस्य को, जो धारा 6 या धारा 7 में विनिर्दिष्ट कोई अपराध करता है, खुली या बन्द गिरफ्तारी में रखा जा सकता है।

गिरफ्तारी

(2) जहां कोई अधीनस्थ अधिकारी उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तारी का आदेश दे वह अपनी कम्पनी या टुकड़ी के कमाण्डर को तुरन्त या सर्वप्रथम अवसर पर गिरफ्तारी की सूचना देगा जो मामले का अन्वेषण करने के उपरान्त, गिरफ्तारी किये गये बल के सदस्य को निर्मुक्त करने या गिरफ्तारी में रखे रहने का आदेश देगा।

(3) इस धारा के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

11—पुलिस अधिनियम, 1861 या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी बल का कोई सदस्य बल से संबन्धित का हकदार न होगा।

बल से संबन्धित

12—धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, कमाण्डेंट या कोई सहायक कमाण्डेंट किसी भी समय बल के किसी अधिकारी को जो पुलिस बल से भेजा गया हो उत्तर प्रदेश पुलिस को लांटा सकता है।

प्रतिवर्तन

13—(1) कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन तीन मास से अधिक अवधि के लिए कारावास से दण्डादेशित किया गया हो पुलिस अधिनियम, 1861 में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश पुलिस से और बल से पदच्युत सम्भाला जायेगा और उसे निकटतम या ऐसे अन्य कारावास में जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करे, कारावासित किया जायेगा।

कारावास का स्थान

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन तीन मास से अनधिक अवधि के लिए दण्डादेशित किया गया हो वह, यदि कमाण्डेंट या उसके नियंत्रणाधीन कोई सहायक कमाण्डेंट ऐसा निर्देशित करे, क्वार्टर गार्ड में या ऐसे अन्य स्थान में जो कमाण्डेंट या सहायक कमाण्डेंट उपयुक्त समझे, परिरुद्ध किया जायेगा।

अन्य विधियों
के अधीन
अभियोजन की
व्याप्ति

14—इस अधिनियम की कोई बात पुलिस अधिनियम, 1861 या उसके अधीन दिये गये आदेशों या बनाये गये नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित के अधीन दण्डनीय किसी कृत्य या लोप के लिए अभियोजन से या यदि इस प्रकार अभियोजित किया जाय तो अधिनियम द्वारा उस कृत्य या लोप के लिये उपबन्धित किसी अन्य या उच्चतरदायित्व से बाधित नहीं करेगी :

परन्तु कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जायेगा ।

बल से संबंधित
अधिकारियों से
भिन्न बल के
कमाण्डेंट और
सहायक
कमाण्डेंट की
अनुशासनिक
और अन्य
शक्तियां

15—एसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाये किसी कमाण्डेंट या सहायक कमाण्डेंट को पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्त पुलिस अधिकारियों के सम्बन्ध में जो बल के अधिकारी नहीं हैं, वही अनुशासनिक शक्तियां होंगी जो किसी जिले के पुलिस अधीक्षक को उनके सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन हैं ।

भंग करना
और पुनर्गठन

16—(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा बल को या उसकी किसी कम्पनी को भंग कर सकती है या उसका पुनर्गठन कर सकती है ।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन बल या उसकी कोई कम्पनी भंग की जाय या उसका पुनर्गठन किया जाय, राज्य सरकार के लिये ऐसे भंग करने या पुनर्गठन के लिये इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित में किसी बात के होते हुए भी और ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जायं, बल के किसी अधिकारी को सेवान्मुक्त करना और यदि वह पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन अभ्यावीशत है और उसे स्थायी नहीं किया गया है, तो उसे पुलिस बल से भी सेवान्मुक्त करना विधिपूर्ण होगा ।

अधिमार्ग
अर्हा

17—एसे अभ्यर्थी को जिस हिन्दी के साथ भारत का संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अन्य भाषा का भी ज्ञान है, बल में भर्ती के मामले में अधिमार्ग दिया जायेगा ।

मनोवैज्ञानिक
परीक्षण के
सम्बन्ध में
उपबन्ध

18—बल में भर्ती की प्रक्रिया में अभ्यर्थी का मनोवैज्ञानिक परीक्षण शामिल होगा ।

प्रशिक्षण

19—बल में भर्ती किये गये व्यक्तियों को ऐसी रीति से प्रशिक्षण दिया जायेगा जैसा विहित किया जाय जिसमें उचित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिये विशेष मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण शामिल होगा ।

आरक्षण

20—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश अधिनियमितियों और राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

नियम बनाने
की शक्ति

21—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यवस्था पराप्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(एक) गठित की जाने वाली कम्पनियों की संख्या,

(दो) बल के सदस्यों के वर्ग और श्रेणियों का बंटन, पेंशन और अन्य पारिश्रमिक का विनियमन और बल में उनकी सेवा शर्तें,

(तीन) वह रीति जिससे और व्यक्ति जिनको बल में भर्ती और नियुक्त किया जाय,

(चार) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिये अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्यों का विनियमन,

(पांच) बल के सदस्यों के लिये सेवा की अवधि का विनियमन,

(छः) धारा 8 के अधीन दिये गये लघु दण्ड का विनियमन और उक्त धारा के अधीन आदेशों के सम्बन्ध में अपील या उनका पुनरीक्षण और उक्त धारा के अधीन अधिरोपित जुर्माना का परिहार और धारा 9 के अधीन की गई कर्तवियों का परिहार,

(सात) इस अधिनियम के अधीन उद्भूत आपराधिक मामलों के निस्तारण की रीति,

(आठ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना हो या किया जाय ।

अनुसूची

कथन

(धारा 2 और 4 देखें)

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल में अपनी सेवा की अवधि में किसी भी समय आप अपने स्वयं के निर्वेदन पर अपने सेवान्मुक्त के हकदार नहीं होंगे। बल या वह कम्पनी जिसमें आप हस्तमय तैनात हों के परिसमापन पर आप बल से सेवान्मुक्त कर दिये जायेंगे और जब तक कि आप बल में पदग्रहण करने के पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस बल के स्थायी सदस्य न रहें हों, उत्तर प्रदेश पुलिस से भी सेवान्मुक्त कर दिये जायेंगे। किन्तु आप उत्तर प्रदेश पुलिस में पुनः भर्ती के हकदार होंगे। आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में बने रहने की दशा में या पुनः भर्ती की दशा में बल में की गई आपकी सेवायें उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोन्नति और पेंशन के लिए गिनी जायेंगी।

पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर इसकी अभिलेखीकरण में कि उपर्युक्त को पढ़कर उसे सुना दिया गया है।

मेरी उपस्थिति में मैंने यह अधिनियमित करने के बाद कि.....
.....ने इस पर हस्ताक्षर करने का आशय समझ लिया है, हस्ताक्षरित किया गया।

मजिस्ट्रेट, कमाण्डेंट, सहायक कमाण्डेंट

आज्ञा से,

नरेंद्र कुमार नारंग,

सचिव।

No. 812(2)/XVII-V-1-1(KA) 16-1994

Dated Lucknow, May 2, 1994

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shanti Suraksha-Bal Adhiniyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 1994 as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 30, 1994.

THE UTTAR PRADESH SHANTI SURAKSHA BAL ACT, 1994

[U. P. ACT No. 14 of 1994]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

for the constitution and regulation of the Uttar Pradesh Shanti Suraksha Bal.

WHEREAS the State Government has requisitioned Central security forces from time to time to deal with emergent law and order problems in the State;

AND, WHEREAS, sometimes in case of such requisition timely assistance is not available because of procedural delays and such requisition is also expensive;

AND, WHEREAS, constitution of a duly trained force equipped with modern equipments is needed in the State to deal with the incidence relating to breach of peace and also to meet the exigencies of natural calamities;

AND, WHEREAS, it is expedient to provide for the constitution and regulation of a force known as the Uttar Pradesh Shanti Suraksha Bal; it is hereby enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Shanti Suraksha Bal Adhiniyam, 1994.

(2) It extends to the whole of the Uttar Pradesh.

Definitions.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "close arrest" means confinement within the Force or a detachment of the Force or a Post quarter-guard building or tent under charge of a guard;

(b) "Commandant", "Assistant Commandant" and "Adjutant" means persons appointed by the State Government to those offices of the Force;

(c) "Force" means the Uttar Pradesh Shanti Suraksha Bal constituted under section 3;

(d) "Officer of the Force" means a person appointed to the Force under this Act, who has, in accordance with the provisions of this Act, signed a statement in the form given in the Schedule;

(e) "open arrest" means confinement within the precincts of any barracks, lines or camp for the time being occupied by any part of the Force;

(f) "subordinate officer" means a member of the Force of the rank of Subedar-Major, Subedar, Platoon Commander or Sub-Inspector;

(g) "superior officer" in relation to an officer of the Force means any officer of as prescribed is higher than that of such officers;

(h) The expressions "criminal force" and "assault", shall have the meanings respectively assigned to them in the Indian Penal Code.

3. (1) There shall be raised and maintained by the State Government a force to be called the Uttar Pradesh Shanti Suraksha Bal and it shall be constituted in such manner and for such period as may be prescribed.

Constitution of the Force.

(2) The Force shall function under the general Control of the Director General of Police, Uttar Pradesh.

4. Before any person, whether already enrolled in Uttar Pradesh Police Force under Police Act, 1861, or not so enrolled, is appointed to be an officer of the Force, the statement in the Schedule shall be read, and if necessary, explained to him by a Magistrate, Commandant or Assistant Commandant, and shall be signed by him in acknowledgement of its having been so read and explained to him and shall be attested by the Magistrate, Commandant or Assistant Commandant, as the case may be.

Enrolment and discharge of officers of the Force

5. Subject to the provisions of sections 6, 7 and 8 every member of the Force shall, upon his appointment and as long as he continues to be a member thereof, be deemed to be a police officer and, subject to any terms, conditions and restrictions, as may be prescribed, shall have and be subject to, in so far as they are not inconsistent with this Act or any rules made thereunder, all the powers, privileges, liabilities, penalties, punishments and protection as a police officer duly enrolled has or is subject to by virtue of the Police Act, 1861, or any other law for the time being in force, or any rules or regulations made thereunder.

Members of the force to be deemed police officers.

6. An officer of the Force who,—

More heinous offences.

(a) begins, excites, causes or joins in any mutiny or sedition, or being present at any mutiny or sedition does not use his utmost endeavours to suppress it, or, knowing or having reason to believe in the existence of any mutiny, or of any intention to mutiny does not without delay give information thereof to his superior officer ; or

(b) uses or attempts to use criminal force against or commits an assault on his superior officer, whether on or off duty ; or

(c) abandons or delivers up any post or guard which is committed to his charge or which it is his duty to defend ; or

(d) directly or indirectly holds correspondence with or assists or relieves any person in arms against or hostile to the State or omits to disclose immediately to his superior officer any such correspondence coming to his knowledge ; or

(e) deserts the Force ; or

(f) uses criminal force to, or commits an assault on any person bringing provisions or other necessaries to camp or quarters, or forces a safeguard or plunders, destroys or damages property of any kind ;

shall, on conviction, be punishable with imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to fourteen years and shall also be liable to fine.

Less heinous offences.

7. An officer of the Force who :—

- (a) strikes or assaults any sentry ; or
- (b) disobeys the lawful command of his superior officer ; or
- (c) being a sentry, sleeps upon his post or quits it without being regularly relieved or without leave ; or
- (d) leaves his commanding officer, or his post or party to go in search of plunder ; or
- (e) breaks into any house or other place for plunder ; or
- (f) quits his post, guard, picquet, party or patrol without being regularly relieved or without leave ; or
- (g) intentionally causes or spreads a false alarm in action or in camp, garrison or quarters ; or
- (h) displays cowardice in the execution of his duty ;
- (i) being under arrest or in confinement, escapes from arrest or confinement ; or
- (j) is grossly in subordinate or insolvent to his superior officer in the execution of his duty ; or
- (k) strikes or maliciously ill-treats any officer of the Force subordinate to him in rank or position ; or
- (l) malingers or feigns or produces disease or infirmity in himself, or intentionally delays his cure, or aggravates his disease or infirmity ; or
- (m) is in a state of intoxication when on, or after having been warned for, any duty or on parade or on the line of march ; or
- (n) being in command of a guard picquet or patrol refuses to receive any prisoner or person duly committed to his charge, or without proper authority releases any person or prisoner placed under his charge or negligently suffers any such prisoner or person to escape ;

shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to seven years or with fine or with both.

Minor punishments.

8. (1) The Commandant or any other authority or officer as may be prescribed, may, subject to any, rules made under this Act, award in lieu of, or in addition to, suspension or dismissal any one or more of the following punishments to any member of the Force whom he considers to be guilty of disobedience, neglect of duty or remissness in the discharge of any duty or of other misconduct in his capacity as a member of the Force, that is to say,—

- (a) reduction in rank ;
- (b) fine of any amount not exceeding one month's pay and allowances ;
- (c) confinement to quarter lines or camp for a term not exceeding one month ;
- (d) confinement in the quarter-guard for not more than twenty-eight days, with or without punishment drill or extra guard, fatigue or other duty ; and

(e) removal from any office of distinction or special emolument in the Force.

(2) Any punishment specified in clause (c) or clause (d) of sub-section (1) may be awarded by any gazetted officer when in command of any detachment of the Force away from headquarters, provided he is specially authorised in this behalf by the Commandant.

(3) The Assistant Commandant, a Company Officer or a subordinate officer, not below the rank of Subedar or Inspector, commanding a separate detachment or an outpost or in temporary command at the headquarters of the Force may, without a formal trial, award to any member of the Force who is for the time being subject to his authority any one or more of the following punishments for the commission of any petty offence against discipline which is not otherwise provided for in this Act, or which is not of a sufficiently serious nature to require prosecution before a criminal court, that is to say,—

(a) confinement for not more than seven days in the quarter-guard or such other place as may be considered suitable with forfeiture of all pay and allowances during its continuance;

(b) punishment drill, or extra guard fatigue or other duty, for not more than thirty days, with or without confinement to quarters, lines or camp;

(c) censure or severe censure; provided that this punishment may be awarded to a subordinate officer only by the Commandant.

(4) A Platoon Commander or a Sub-Inspector who is temporarily in command of a detachment or an outpost may, in like manner and for the commission of any like offence, award to any member of the Force for the time being subject to his authority any of the punishments specified in clause (b) of sub-section (3) for not more than fifteen days.

9. The following penal deductions may be made from the pay and allowances of a member of the Force by his company officer, that is to say,—

Deductions from
pay and allow-
ances.

(a) all pay and allowances for every day of absence either on desertion or without leave and for every day of imprisonment awarded by a criminal court or of confinement awarded under section 8;

(b) all pay and allowances for every day whilst he is in custody on a charge for an offence of which he is afterwards convicted;

(c) all pay and allowances for every day on which he is in hospital on account of sickness certified by the medical officer attending on him at the hospital to have been caused by an offence committed by him under this Act;

(d) all pay and allowances ordered to be forfeited under section 8; and

(e) such sum as may be ordered by the Commandant or Assistant Commandant in order to make good any expenses caused by the member of the Force, or any loss of, or damage or destruction done by him to any arms, ammunition, equipment, clothing, instrument or decorations belonging to the Force, or to any buildings or property.

Arrest.

10. (1) Any member of the Force who commits any offence specified in section 6 or section 7 may be placed on open or close arrest by any officer of the Force.

(2) Where any subordinate officer orders an arrest under sub-section (1), he shall forthwith or at the earliest opportunity report the arrest to his company or detachment commander who shall after investigating the case order the release or the continued arrest of the member of the Force arrested.

(3) No appeal shall lie from an order passed under this section.

Discharge from the Force.

11. Notwithstanding anything contained in the Police Act, 1861, or in any other law for the time being in force, no officer of the Force shall be entitled to be discharged from the Force.

Reversion.

12. The Commandant or an Assistant Commandant may, notwithstanding anything contained in section 11, at any time revert to Uttar Pradesh Police an officer of the Force who has been seconded from the Police Force.

Place of imprisonment.

13. (1) A person sentenced under this Act to imprisonment for a period exceeding three months, shall notwithstanding anything contained in the Police Act, 1861, be deemed to have been dismissed from Uttar Pradesh Police Force and from the Force and shall be imprisoned in the nearest or such other jail as the State Government may by general or special order direct.

(2) A person sentenced under this Act to imprisonment for a period not exceeding three months may, if the Commandant, or subject to his control, an Assistant Commandant, so directs, be confined in the quarter-guard or such other place as the Commandant or Assistant Commandant may consider suitable.

Saving of prosecution under other laws.

14. Nothing in this Act shall prevent any person from being prosecuted under the Police Act, 1861, or under any order, or rule made thereunder or any other enactment for the time being in force, for any act of omission punishable thereunder or from being liable if so prosecuted, to any other or higher penalty than is provided for that act or omission by this Act :

Provided that no person shall be punished twice for the same offence.

Disciplinary and other powers of Commandant and Second-in-Command of the Force otherwise than in respect of the Force.

15. Subject to such rules as the State Government may make in this behalf a Commandant or Assistant Commandant shall have with respect to Police officers, appointed to Uttar Pradesh Police Force under Police Act, 1861, who are not officers of the Force, the same disciplinary powers as a Superintendent of Police of a district has with respect to them under that Act.

Disbandment and reconstitution.

16. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, disband or reconstitute the Force or any Company thereof.

(2) Whenever the Force or any Company thereof is disbanded or reconstituted under sub-section (1) it shall notwithstanding anything

contained in this Act or any other enactment for the time being in force and subject to such conditions, as may be prescribed, be lawful for the State Government with a view to such disbandment or reconstitution, to discharge any officer from the Force and if he is enrolled under the Police Act, 1861, and has not been confirmed, from the Police Force also.

17. A candidate who has knowledge of any of the languages specified in the Eighth Schedule to the Constitution of India besides Hindi, shall, other things being equal, be given preference in the matter of recruitment to the Force.

Preferential qualification.

18. Procedure for recruitment to the Force shall include a psychological test of candidates.

Provision regarding Psychological Test.

19. The persons recruited to the Force shall be imparted such training as may be prescribed which shall include special psychological training to ensure fair outlook.

Training.

20. Reservation for the candidates belonging to Schedule Caste, Scheduled Tribes, Backward Classes and other categories shall be made in accordance with the Uttar Pradesh enactments and the orders of the State Government for the time being in force.

Reservation.

21. (1) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, the rules may provide for the following matters, that is to say,—

(i) the number of companies to be constituted ;

(ii) the regulation of the classes and grades of, and the pay, pension and other remuneration of members of the Force, and their conditions of service in the Force ;

(iii) the manner in which and the persons who may be recruited and appointed to the Force ;

(iv) the regulation of the powers and duties of officers authorised to exercise any function by or under this Act ;

(v) the regulation of the period of service for the members of the Force ;

(vi) the regulation of the award of minor punishment under section 8 and provision for appeals from, or the revision of orders under that section and the remission of fines imposed under that section, and the remission of deduction made under section 9 ;

(vii) the manner of disposal of criminal cases arising under this Act ;

(viii) any other matter which is to be or may be prescribed.

SCHEDULE STATEMENT

(See sections 2 and 4)

At no time during the period of your service in the Uttar Pradesh Shanti Suraksha Bal you will be entitled to obtain your discharge at your own request. On the liquidation of the Force or of the company in which you may, for the time being, be posted you will be discharged from the Force unless you were already a confirmed member of Uttar Pradesh Police Force before joining the Force from Uttar Pradesh Police also. You will however, be eligible for re-enlistment in Uttar Pradesh Police. In the event of your continuing in Uttar Pradesh Police or your re-enlistment therein, your services in the Force will count for promotion and pension in Uttar Pradesh Police.

Signature of Police officer in acknowledgement of the above having been read over to him.

Signed in my presence, after I had ascertained that.....

.....understood the purport of what he signed

Magistrate, Commandant or Assistant Commandant.....

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.